न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या– 02/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/06

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनिवास पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मांगलोदी सरगोठ तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन		जिला रसद अधिकारी, नागौर

अपील अधीन 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विभागीय प्रकरण संख्या 16/2019 में जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध।

उपस्थितः–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विरेन्द्र सिंह जाखड जिला रसद अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः 26.03.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि :–

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 16/2019 राजस्थान सरकार, बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनरथ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक रसद/शिकायत/2019/219 दिनांक 11.02.2019 द्वारा शिकायत की जांच करने हेतु जाचं दल का गठन किया गया। जांच दल ने दिनांक 15.02.2019 को मौके पर जाकर जांच की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.02.2019 को प्रस्तुत की। मौके पर उपभोक्ताओं के बयान लिये गये। जांच रिपोर्ट में उचित मुल्य दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ता श्री मूलाराम/रतनाराम बावरी ने बताया कि उनके राशनकार्ड नम्बर 00024 पर ऑनलाईन राशन सामग्री का उठाव कर माह अक्टुबर 18 में गेहूं 20 किलोग्राम एवं 5 लीटर केरोसीन दिया गया जबकि उसके 5 किलोग्राम गेहूं और 2.5 लीटर केरोसीन ही दिया [illegible] अगस्त 18 में उठाव गेहूं 20 किलोग्राम एवं 5 लीटर केरोसीन का [illegible] मई 18 में उठाव गेहूं 10 किलोग्राम एवं 5 लीटर केरोसीन, माह [illegible] व मार्च 18 में उठाव 10–10 किलोग्राम गेहूं जबकि उसको 5–5 किलोग्राम गेहूं दिया गया। उक्त बयान का इनके रशनकार्ड में दर्ज राशन सामग्री से मिलान करने पर बयान सही पाया

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 45 किलोग्राम गेहूं एवं 5 लीटर केरोसीन उपभोक्ता को नहीं देकर स्वयं दुरूपयोग किया गया। श्री किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम ने बताया कि उनके राशनकार्ड संख्या 008366980028 पर ऑनलाइन राशन सामग्री का उठाव माह सितम्बर 18 में केरोसिन, 2.5 लीटर,अगस्त 18, जुलाई 18, जून 18, अप्रेल 18, मार्च 18, दिसम्बर 17 में क्रमशः 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर उठाव किया गया जबकि उसको नहीं दिया गया। उक्त केरोसीन इनके राशनकार्डो में इन्द्राज नहीं है जबकि उक्त दिनांक को गेहूं के उठाव की प्रविष्टि दर्ज है। इससे जाहिर है कि राशन डीलर ने उपभोक्ता का 16 लीटर केरोसीन उपभोक्ता को नहीं देकर स्वयं दुरूपयोग किया है। श्री गोपालराम पुत्र श्री सुरजाराम ने बताया कि उनके राशनकार्ड क्रमांक 008386900065 पर माह जनवरी 2019 में ऑनलाईन उठाव 60 किलोग्राम गेहूं का किया है जबकि 30 किलोग्राम गेहूं की उपभोक्ता को दिया है। उक्त सामगी का राशनकार्ड से मिलान करने पर सही पाया गया। इस प्रकार राशन डीलर नं 30 किलोग्राम गेहूं उपभोक्ता को नहीं देकर स्वयं के लिए दुरूपयोग किया है। श्री जवाराराम पुत्र श्री मांटाराम नं बताया कि राशन डीलर पोश मशीन से निकलने वाली पर्ची नहीं देता है। इस प्रकार डीलर श्री रामनिवास ने उपभोक्ताओं के 75 किलोग्राम गेहूं व 21 लीटर केरोसीन की अनियमितता बरतना पाया गया।

3. अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार श्री रामनिवास मांगलोदी पोश कोड नम्बर 30046 तहसील कुचामनसिटी को राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता बरतने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्सक पदार्थ (विरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। उचित मुल्य दुकानदार को कार्यालय के पत्रांक रसद/अभि/20196/257 दिनांक 20.02.2019 करण बताओ नोटिस जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार श्री रामनिवास मांगलोदी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अपना जबाब प्रस्तुत किया गया।
4. अप्रार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 20.02.2019 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका 11895/19 रामनिवास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश की जिस पर बाद सुनवाई में माननीय न्यायालय ने प्रार्थी को जिला कलक्टर के समक्ष 15 दिवस में अपील पेश करने व न्यायालय जिला कलक्टर को अपील प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत अपील को एक माह के भीतर विधिनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।
5. अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में रसद मामला संख्या 52/2019 रामनिवास बनाम जिला रसद अधिकारी अपील प्रस्तुत की। अप्रार्थी ने अपील में कथन किकया कि खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ.17(45) खावि/न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार विभागीय प्रकरण का निस्तारण 90 [illegible] अवधि में किये जाने के निर्देश है परन्तु रेस्पो.(जि[illegible] विभागीय प्रकरण संख्या 16/2019 दिनांक 20.02.2019 से विचारा[illegible] चल रहा है जो कतई उचित नहीं है। अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 20.02.2019 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

6. माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 12.09.2019 में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हे कि वह विभागीय प्रकरण संख्या 16/2019 का विधि प्रकिया अनुसार यथाशघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही का आदेश दिया गया।

7. माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 12.09.2019 की पालना में विभागीय प्रकरण संख्या 16/2019 विचाराधीन रखते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बन से बहाल किया गया। अप्रार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.04.2022 जारी किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया।

8. अप्रार्थी का जबाब दिनांक 02.12.2022 अनुसार अप्रार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान पर मुल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड लगाया हुआ था किन्तु उक्त बोर्ड पर कीले नहीं लगाई हुई थी। अप्रार्थी की दुकान के सामने सडक निर्माण हुआ था जिस वक्त उक्त बोर्ड किसी लेबर द्वारा खर्दबुर्द कर दिया था किन्तु उक्त बोर्ड वापिस बनाकर लगा दिया है। अप्रार्थी राशन डीलर द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। अप्रार्थी द्वारा हमेशा सही रूप से वितरण किया जाता रहा है इसके अलावा जब राशन वितरण होता है तो एक दो दिन में ही सभी लोग राशन लेने के लिए इकटठे हो जाते है जिसके कारण उन दिनांक में भीड़ अधिक रहती है। उसकी वजह से राशनकार्डो में इन्द्राज भूल से छुट गया था। अप्रार्थी द्वारा पोश मशीन से सभी को पर्चियां दी जाती है तथा उक्त इन्द्राज ऑन्लाईन भी होता है। इसके अलावा उल्लेख करना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता मूलाराम बावरी द्वारा अपनी मृत्त पत्नी जो कि चार साल पूर्व हो चुकी है उसकी राशन सामग्री लेने से मना करने पर झूठी शिकायत राजनैतिक द्वेषता से की है इसके अलावा गांव के चार व्यक्तियों के अलावा सभी व्यक्ति अप्रार्थी के कार्य से संतुष्ठ है।

9. अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में किसी वर्णित शिकायतकर्ताओ में से किसी का भी बयान अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। विशिष्ठ आरोप होने के बावजूद भी सामान्य रूप से आरोपो को सत्य होने से इन्कार किया है जबकि अप्रार्थी डीलर को तथ्य विशेष रूप से अवगत करवाया गया कि उपर वर्णित उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 20.02.2019 को की गई जांच में उसके विरूद्ध बयान दिये है तथा उनको ऑनलाईन वितरित राशन सामग्री अनुसार राशन सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। अप्रार्थी डीलर द्वार फोरी तरीके से सभी आरोपों का जबाब बिना किसी साक्ष्य के असत्य होना बताया है। इस प्रकार डीलर के विरूद्ध उक्त आरोप फर्द मौका रिपोर्ट,उपभोक्ताओं के बयान तथा ऑनलाईन राशन वितरण डिटेल तथा राशनकार्ड में इन्द्राज राशन सामगी में अन्तर पाया गया है। वगैर का अंकन करते हुये बिना किसी आधार के अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने [illegible] जेर अपील पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश [illegible] है जिसके आधार निम्न है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

डीडवाना–कुचामन

1. यह कि रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है।
2. यह कि, जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, वह स्वयं रेस्पोडेंट के कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट उक्त प्रकरण में न्यायिक मस्तिष्क का सही रूप से उपयोग लेने की स्थिति में ही नहीं थे क्योंकि, जब रेस्पोडेंट ही जांच करवाता था तो उसके वैसी स्थिति में उसके द्वारा उक्त अपीलांट के विरूद्ध निर्णय करने से पहले ही मांईड सेट कर लिया था। इसलिये उक्त सम्पूर्ण प्रकिया ही दुषित हो गई। इसलिये रेस्पोडेंट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य हैं।
3. यह कि, अपीलांट ने बोर्ड लगा कर फोटो पेश कर दी थी, इसके अलावा अपीलांट द्वारा पोश मशीन से माल वितरण किया जाता था जिसमें ऑनलाईन डाटा उपलब्ध रहता है जिसमें किसी प्रकार की अनियममिता की कोई गुंजाईश नहीं रहती है तथा प्रवर्तन निरिक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि, स्टॉक सही पाया गया। अगर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो स्टॉक का मिलान करने पर स्टॉक सही नहीं पाया जाता। इस प्रकार रेस्पोडेंट ने बिना किसी आधार के ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि, जिला रसद अधिकारी ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर राजनैतिक दबाव में आकर आगामी कार्यवाही नहीं कर अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में केवल मात्र जांच में लिये गये मुलाराम बावरी शिकायतकर्ता के मौखिक बयान के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जबकि शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत की थी क्योंकि, वह पूर्व में अपनी मृत पत्नि के नाम से राशन ले रहा था जो अपीलांट ने बंद कर दिया तो यह झुठी शिकायत की थी जिस पर किसी प्रकार का विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि, अपीलांट द्वारा पोश मशीन से माल वितरण किया जाता था जिसमें ऑनलाईन डाटा उपलब्ध रहता है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाईश नहीं रहती है तथा ग्रामीणों को सुचारू रूप से आपूर्ति करने के लिये किसी दिन ग्राहक द्वारा राशनकार्ड नहीं लाने पर भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड से सामग्री वितरित की जाती थी जो ऑनलाईन एन्ट्री कर पदार्थ का वितरण किया जाता रहा है व प्रवर्तन निरिक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट पाया गया कि, वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार मांगलोदी की पोश मशीन कोड नम्बर 30046 में स्टॉक गेहूं शून्य, केरोसिन 115 [illegible] चीनी 55 किलोग्राम दर्ज था जो उपस्थित उपभोक्ताओं के समक्ष [illegible] पर गेहूं शून्य, केरोसीन 115 लीटर व चीनी [illegible] किलोग्राम पाई गई [illegible] स्टॉक सही पाया गया था। इससे स्पष्ठ है [illegible] अगर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो स्[illegible] का मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

करने पर स्टॉक सही होना नही पाया जाता। इससे स्पष्ट है कि, परिवादी की शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित है। इसलिये अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि, शिकायतर्ता राजनैतिक द्वेषता रखने के कारण शिकायत झूठे तथ्यों पर पेश कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाने के उद्देश्य से व प्राधिकार पत्र खुद व अन्य व्यक्ति को एलोट करवाने की नियत से पेश की गई है। उक्त तथ्य पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि, रेस्पोडेंट ने मौका जांच फर्द को निर्णय का आधार बनाने में भी कानूनी त्रुटी की है। क्योंकि, उक्त कथित मौका रिपोर्ट से यह कही पर भी साबित नहीं होता है कि, अपीलांट ने किसी प्रकार की राशन सामग्री कम दी हो बल्कि उक्त मौका रिपोर्ट बनाना बताई गई उस वक्त चार व्यक्तियों के अलावा सभी द्वारा संतुष्ट होना बताया गया है तो वैसी स्थिति केवल मात्र चार व्यक्तियों के बयान ही क्यों लिये गये जबकि अन्य व्यक्तियों के बयान लेने चाहिए थे इसके अलावा केवल मात्र मौखिक साक्ष्य को किस आधार पर माना गया जबकि कोई भी व्यक्ति राशन लेने के बाद में यह कह सकता है कि, मुझे राशन सामग्री नहीं दी गई जबकि पोश मशीन बिना उपभोक्ता की उपस्थिति के चल नही सकती। ऐसी स्थिति में 75 किलोग्राम गेहूं एवं 21 लीटर केरोसीन का वितरण कैसे नहीं किया गया। इसका कोई भी दस्तावेज रेस्पोडेंट के पास नहीं होने के बावजूद गलत रूप से रेस्पोडेंट व उनके अधिनस्त कर्मचारियों ने अपीलांट से रानैतिक द्वेषता रखने वाले लोगों के सिखावें में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की है। इालिये आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि, रेस्पोडेंट ने अपने आदेश में उल्लख किया है कि, इस डीलर से ग्राम मांगलोदी के उपभोक्ताओं के भविष्य में राशन सामग्री नियमानुसार वितरण करने की संभावना नहीं है का उल्लेख करते हुये निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट श्रीमान् कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश की पालना में दिनांक 12.09.2019 से फरवरी 2023 तक निरन्तर राशन सामग्री वितरण करता रहा है तथा इस दौरान किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत अपीलांट के विरूद्व नहीं की गई और न ही ऐसी कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर मौजुद था इसके बावजूद रेस्पोडेंट ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि, उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड लगाया हुआ था मगर सड़क निर्माण कार्य होने के [illegible] ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान बोर्ड गिर गया था मगर [illegible] रखा हुआ था व बाद में किले लगा कर पुनः [illegible] गया था जो किसी भी अनियमितता के या [illegible] भी जबाब के साथ पेश कर दी गई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

10. यह कि, अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने जबाब पेश का साक्ष्य के लिए अवसर चाहा, किन्तु चूंकि उक्त जांच रिपोर्ट रंस्पोडेंट के द्वारा ही बनाई गई थी इसलिये उसने बिना सोच विचार किये ही पूर्व नियोजित निर्णय को अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाकियाती त्रुटी की है।
11. यह कि, माननीय जिला रसद अधिकारी नागौर ने उक्त प्रकरण में किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के कोई बयान नहीं लिये और न ही अपीलांट को इस संबंध में कोई सुनवाइ का अवसर दिया तथा न ही निष्पक्ष व्यक्तियों के जांच रिपोर्ट तैयार की तब बयान लिये। इस प्रकार केवल मात्र शिकायतकर्ताओं के गलत बयानों को आधार बना कर जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।
12. यह कि, गांम पंचायत सरगोठ के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के अनुसार भी अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी तथा आज दिन तक पह शांतिपूर्वक राशन सामग्री का वितरण करता रहा हैं। इसके बावजूद अपीलांट को राजनैतिक द्वेषता का शिकार बनाते हुये केवल मात्र झूठी शिकायत के आधार पर उसका प्राधिकरण पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाकीयाती त्रुटि की गई है।
13. यह कि, माननीय जिला कलक्टर महोदय, नागौर द्वारा रसद अपील संख्या 52/2019 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश पारित किया था तथा उक्त आदेश में मौका रिपोर्ट व बयानों के बारे भी विवेचनन किया है। किन्तु माननीय जिला रसद अधिकारी ने न तो किसी दस्तावेज पर विचार किया और न ही जबाब के तथ्यों पर विचार किया एवं केवल मात्र प्राधिकार पत्र निरस्त करने का मंशा बनाकर बिना विधिक स्थिति अनुसार विचार किये निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।
14. यह कि, दिनांक 13.02.2023 से पूर्व अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं थी तथा उसके द्वारा राशन सामग्री का वितरण भी किया गया है तथा न ही कभी रसद विभाग के हस्ताक्षर करवाये तथा कहा गया कि,साक्ष्य सबूत पेश करें किन्तु दिनांक 13.02.2023 को श्री रामवतार पूनिया अपीलांट की दुकान पर आये तथा कहा कि, निर्णय हो गया किन्तु उनके पास भी स्पष्ट कॉपी नहीं थी तत्पश्चात् नागौर आकर निर्णय के लिये आवेदन पेश किया, जो नकलें मिलते ही उक्त अपील पेश की जा रही है जो जानकारी के दिवस से अल्दर मयाद पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि, अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जैर अपील अपास्त किया जावें एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत अपील पर बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपील में लिये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर

नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, मागंलोदी का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुवा था व अपीलांट नियमानुसार कार्य कर रहा था, अपीलांट के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अपीलांट द्वारा पोश मशीन से माल वितरण किया जाता था जिसमें ऑनलाईन डाटा उपलब्ध रहता है जिससे किसी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाईश नहीं रहती है तथा प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि स्टॉक सही पाया गया। अगर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो स्टॉक का मिलान करने पर स्टॉक सही नहीं पाया जाता। इस प्रकार रेस्पोडेंट ने बिना किसी आधार के प्राधिकार पत्र निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह निरस्त करवानें की कृपा करावें तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जावें।

जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उचित मूल्य दूकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ता श्री मालूराम पुत्र रत्नाराम बावरी ने अपने बयान में बताया कि उसके राशन कार्ड संख्या 00024 पर राशन डीलर ने ऑनलाईन सामग्री का उठाव कर माह अक्टूबर 2018 में गेंहू 20 कि.ग्रा., केरोसिन 5 लीटर दिया गया जबकि डीलर द्वारा उसको वास्तविक रूप से गेंहू 5 किग्रा. एवं कैरोसिन 2.5 लीटर ही दिया गया। माह अगस्त 2018 में ऑनलाईन ट्रांजेक्शन 20 किग्रा. गेंहू एवं कैरोसिन 5 लीटर। इसी प्रकार मई 2018 में गेंहू 10 किग्रा कैरोसीन 5 लीटर, माह मार्च–अप्रैल 2018 में ऑनलाईन ट्रांजेक्शन में 10–10 किग्रा गेंहू जबकि डीलर द्वारा उसको वास्तविक रूप से 5–5 किग्रा. गेंहू ही दिया गया। उक्त बयान का उसके राशन कार्ड में दर्ज सामग्री का मिलान करने पर बयान सही पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 45 किग्रा. गेंहू व 5 लीटर कैरोसीन उपभोक्ता श्री मूलाराम बावरी को न देकर स्वयं गबन किया है। मौके पर उपस्थित श्री किशोर कुमार पुत्र प्रभुराम ने बयान दिया कि उसके राशन कार्ड संख्या 008366980028 पर माह दिसम्बर 2018 में कैरोसीन 2.5 लीटर, अगस्त, जुलाई, जुन, अप्रैल, मार्च 2018 एवं दिसम्बर 2017 में क्रमशः कैरोसीन 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर का ऑनलाईन उठाव किया किन्तु वास्तविक रूप से उक्त सामग्री राशन डीलर द्वारा उसको नहीं दी गयी। उक्त कैरोसीन का परिवादी के राशन कार्ड में मिलान करने पर उक्त दिनांक को गेंहू के उठाव के प्रविष्ठि दर्ज है किन्तु कैरोसीन की नहीं है इससे यह स्पष्ट है कि राशन डीलर रामनिवास द्वारा उपभोक्ता का 16 लीटर कैरोसीन उपभोक्ता को न देकर स्वयं दुस्पयोग किया है। मौके पर उपस्थित गोपाल पुत्र श्री सुरजाराम राशन कार्ड नम्बर 08386900065 ने बयान में बताया कि राशन डीलर द्वारा माह जनवरी 2019 में ऑनलाईन उठाव 60 किग्रा. गेंहू का किया है किन्तु वास्तविक रूप से उसको 30 किग्रा. गेंहू ही दिया गया। उक्त सामग्री का [illegible] राशन कार्ड से मिलान करने पर 30 किग्रा. गेंहू ही दिया पाया गया। इस [illegible] द्वारा 30 किग्रा. गेंहू उपभोक्ता को न देकर स्वयं गबन कर लिया। मौके पर [illegible] श्री जंवराराम पुत्र मोटाराम ने बताया कि राशन डी[illegible] निकलने वाली राशन सामग्री की पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं [illegible] जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक राशन ट्रांजेक्शन का पता नहीं चल पाता। उचित मूल्य दूकानदार श्री रामनिवास द्वारा उपरोक्त उपभोक्ताओं का 75 किग्रा. गेंहू एवं 21 लीटर कैरोसीन का स्वयं गबन करना पाया गया। अतः उचित मूल्य दूकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलांट श्री रामनिवास उचित मूल्य दूकानदार मांगलोदी की अपील को निरस्त कर श्रीमान जिला रसद अधिकारी नागौर की निर्णय दिनांक 10.01.2023 को यथावत रखने का श्रम करावें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी पर मूलतः 2 आरोप हैः–

1. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 2018 में चार उपभोक्ताओं को पोश मशीन में वितरण दर्शा कर भौतिक रूप से राशन नही दिया जाना तथा फलस्वरूप 21 लीटर केरोसीन व 75 किलोग्राम गेंहू का गबन किया जाना।
2. उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य सूची व आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

प्रकरण में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2019 को राशन डीलर श्री रामनिवास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान बनाये गये फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 जो कि पत्रावली में संलग्न है, उक्त फर्द मौका रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न 04 लोगों के बयानों के आधार पर राशन डीलर के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण तैयार किया गया।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 जो कि पत्रावली में संलग्न है में यह तथ्य अंकित किया कि "मौके पर उपस्थित लोगों व राशन डीलर के समक्ष उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन किया गया। उचित मूल्य दुकान के बाहर आवश्यक सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकान की पोश मशीन कोड नं0 30046 में आज दिनांक को दर्ज स्टॉक में चीनी 55 किलोग्राम, केरोसीन 115 लीटर व गेहूं शून्य किलोग्राम पाये गये। उक्त स्टॉक का उपस्थित लोगों व राशन डीलर के समक्ष भौतिक सत्यापन करने पर चीनी 55 किलोग्राम, केरोसीन 115 लीटर व गेहूं शून्य किलोग्राम पाये गये।" उक्त फर्द मौका रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित है कि पोश मशीन की रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

उचित मूल्य दुकान के विरूद्ध यह आरोप भी लगाया गया कि कतिपय उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में मार्च 2018 में किये गये राशन वितरण में अनियमितता की गई। शिकायतकर्ता का यह बयान है कि पोश मशीन में 10–10 किलोग्राम का अंकन किया गया जबकि भौतिक रूप से 5–5 किलोग्राम का वितरण किया गया। इसी प्रकार 02 ने अगस्त 2018 में केरोसीन 2.5 लीटर वितरण करना बताया गया परन्तु उनको नहीं दिया गया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट [illegible] 2019 में बनाई गई जबकि शिकायतकर्ता ने शिकायत [illegible] दुकान के विरूद्ध शिकायत सिद्ध करने के लिए अन्य कोई प्रमाण / [illegible] प्रस्तुत नहीं किये है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपने पक्ष में 11 लोगों रामनिवास, रतनाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

बनवारीलाल, राजुराम, जैसाराम, नारायण, भंवरलाल, संदीप सैन, पुसाराम, अमराराम, रूगाराम लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर राशन वितरण सही होना बताया गया। भौतिक सत्यापन में गेहूं का सही पाये जाने एवं अनियमित वितरण के लिए कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर राशन डीलर के विरूद्ध अनियमित वितरण की शिकायत सही नहीं पाई जाती है।

अपीलान्ट के विरूद्ध उचित मूल्य का बोर्ड नहीं लगाने का आरोप भी लगाया गया। अपीलान्ट द्वारा बोर्ड लगे होने के फोटोग्राम भी प्रस्तुत किये। फर्द मौका रिपोर्ट में भी यह तथ्य अंकित किये गये कि राशन डीलर द्वारा राशन वितरण का कार्य ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शानुसार किया जा रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट में भी बोर्ड नहीं लगा होने के तथ्य का कहीं अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध यह आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **26.03.2024** को सुनाया गया।

26/3/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested